मथुरा पुलिस

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक - 12.01.2026   OPERATION CONVICTION   थाना गोविन्द नगर।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर वादी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित करना तथा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 24,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 89/2020 धारा 498ए/304बी आईपीसी व 3/4 दहेज अधिनियम** में आज दिनांक 12.01.2026 को माननीय न्यायालय **स्पेशल ई0सी0 एक्ट जनपद मथुरा** द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुभाष पुत्र रोशनलाल निवासी बी0एस0 चौहान का मकान जयसिहंपुरा खादर थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा को **आजीवन कारावास एवं 24,000/- रूपये** के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

घटना क्रम--- दिनांक 18.03.2020 को थाना गोविन्ग नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2020 धारा 498ए/149/304बी/302 आईपीसी व 3/4 दहेज अधिनियम में **अभियुक्त सुभाष पुत्र रोशनलाल निवासी बी0एस0 चौहान का मकान जयसिहंपुरा खादर थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा** द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित करना तथा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री हत्या करने की जघन्य घटना कारित की थी। इस जघन्य अपराध में भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्य

एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

श्री अवनीश कुमार उपाध्याय ADGC, मथुरा

श्रीमती आलोक दुबे (विवेचक)

पैरोकार/का0 बिहारी श्रीवास्तव, थाना गोविन्द नगर मथुरा